RRNo 2803
27-2-2012

R.No-277
28/2/12

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.10(228)नविवि/3/10/ दिनांक : 24 FEB 2012

कार्यालय आदेश

Director (F)
+ pm (mktg)
OIC (PEA)
27-2-2012
DM(F)
28/2/12
OSE project
28/2/12

विषय :– नगरीय निकायों में **"Dedicated Consultants** की सेवाऐं लिये जाने के सम्बन्ध में।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2011 के पेराग्राफ संख्या–7 को तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

"कन्सलटेन्ट्स के पैनल में से परियोजना हेतु उचित कन्सलटेन्ट का चयन संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा कार्य से संबंधित अधिकारियों की एक समिति का गठन कर जिसमें लेखा सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी सम्मिलित हो, के माध्यम से किया जा सकेगा। कन्सलटेन्ट के चयन हेतु किसी प्रकार के तकनीकी मार्गदर्शन हेतु प्रकरण पर स्थानीय तकनीकी अधिकारी यथा अधिशाषी अभियंता अथवा उससे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से राय ली जा सकती है।"

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.09.2011 के आईटम नं.8 "Any other work/project on mutually agreeable terms and conditions between the consultant and the local body." के संदर्भ में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है।

"डेडिकेटेड कन्सलटेन्ट्स से आदेश दिनांक 21.09.2011 के आइटम नं. 1 से 7 तक के ही कार्य करवाये जावें। अन्य कार्य करवाने हेतु संबंधित निकाय इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2011 के द्वारा एम्पेनल कन्सलटेन्ट्स को प्रस्तावित कार्य का विवरण प्रेषित कर वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त कर न्यूनतम प्राप्त दर पर कार्य करवा सकेगे।"

डेडिकेटेड कन्सलटेन्ट्स का पैनल प्रथम चरण में प्रशासन शहरों के संग अभियान तक ही सीमित रहेगा।

23/2/2012
(एन.एल.मीना)
उप शासन सचिव–तृतीय

क्रमांकः प.10(228)नविवि / 3 / 10 / दिनांक : 24 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. अध्यक्ष नगर विकास न्यास (समस्त)।
7. उप शासन सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य के समस्त निकायों को आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु उचित कार्यवाही करें।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
11. निदेशक (आयोजना), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. निदेशक (प्रोजेक्टस), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर
15. कार्यकारी अधिकारी, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ.ए, जयपुर।
16. मुख्य प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर।
17. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर / कोटा / बीकानेर / अजमेर।
20. मुख्य अभियन्ता, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
21. मुख्य अभियन्ता (मु0), नगरीय विकास विभाग, नगर विकास न्यास, कोटा।
22. प्रभारी अधिकारी, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को www.udhrajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

(2)

23/2/2012

उप शासन सचिव–तृतीय